भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 750

दिनांक 07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनएमसी के तहत कोई 'नो बॉन्ड' नीति

750. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी चिकित्सा संस्थानों से प्रशिक्षित डॉक्टरों के लिए अनिवार्य बॉन्ड नीति के मुद्दे से अवगत है, जो स्नातकों, स्नातकोत्तरों और सुपर-स्पेशलिस्टों को अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सेवा प्रदान करना अनिवार्य करती है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा 2021 में आयोजित अपनी बैठकों में की गई सिफारिश के अनुसार 'नो बॉन्ड' नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और अनिवार्य बॉन्ड की आवश्यकता को समाप्त करने में देरी के कारण क्या हैं;

(ग) सर्वसम्मति से इसे समाप्त करने की सिफारिश करने के बावजूद क्या एनएमसी द्वारा इस नीति को जारी रखने के पीछे कोई तर्क है और उक्त नीति के कारण डॉक्टरों के सामने क्या चुनौतियां हैं और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) नीति में विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि इंजीनियरिंग जैसी अन्य सब्सिडी वाली शिक्षा पाठ्यक्रमों में पेशेवरों को ऐसे सेवा बॉन्ड के अधीन नहीं रखा जाता है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, मेडिकल कॉलेजों में सीट लीविंग बांड पॉलिसी और बांड की धनराशि निर्धारित करने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों के दायरे में आता है।

****